

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

आदेश संख्या-1/श्रम वि० ई० 8-80-23/2013 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संविदा पर नियोजित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, जिनकी एक वर्ष की अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने पर विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1796 दिनांक- 27.06.2014 द्वारा 30 जून, 2015 तक अनुबन्ध की अवधि का विस्तार किया गया था, उनमें से वर्तमान में कार्यरत निम्नलिखित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पूर्व के शर्तों के साथ निम्न विवरणी के अनुसार पुनः अनुबन्धित किया जाता है :-

क्र०	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थल	नियुक्ति आदेश संख्या/ दिनांक	योगदान की तिथि	अनुबन्ध की पूर्व अवधि	अनुबन्ध की विस्तारित अवधि
1.	डा० चन्दन सोनी सिन्हा	क० रा० बी० चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर	1747 20.6.2012	06.07.2012	30 जून, 2015	30 जून, 2016

2. विभागीय आदेश संख्या-1747 दिनांक- 20.06.2012 द्वारा संविदा पर नियुक्त एवं 30 जून, 2015 तक पुनः अनुबन्धित तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहारशरीफ में पदस्थापित अन्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी डा० (श्रीमती) रूपम की सेवा असंतोषप्रद रहने के कारण उनकी संविदा अवधि का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया जाता है ।

ह०/-

(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि० ई० 8-80-23/2013 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- डा० चन्दन सोनी सिन्हा, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर/ डा० (श्रीमती) रूपम, निवर्तमान बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि० ई० 8-80-23/2013 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, फुलवारीशरीफ, पटना एवं मुजफ्फरपुर/प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ, नालन्दा/राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना/ सरकार पक्ष के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31.07.15
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव

31/7/15